

क्रमांक 4112275/03/छ.ग./2018/2045

कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग, सिहावा-भवन
छत्तीसगढ़, रायपुर

दिनांक 18/02/2019

प्रति,

✓ कार्यपालन अभियंता,
MIS Cell,
स्टेट डाटा सेन्टर,
सिहावा भवन,
रायपुर (छ.ग.)

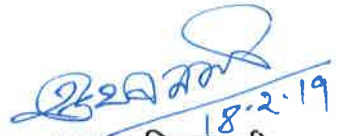
विषय :- प्रथम अपील प्रकरणों के निराकरण आदेश की प्रति को वेब साईट (Web Site) में अपलोड किये जाने बाबत।

संदर्भ :- अधीक्षण अभियंता (बोधी) के पत्र क्र. 581/बो.प्र./नि.स./2013/1920 दिनांक 15.02.2019

—00—

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र (छायाप्रति संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें। कृपया पत्र में दिये गये निर्देशानुसार कार्यवाही कर इस प्रकोष्ठ को अवगत करावें।

सहपत्र :- उपरोक्तानुसार।
(24 पृष्ठ)


(सजल कुमार विश्वकर्मा)
जन सूचना अधिकारी
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग
छत्तीसगढ़ रायपुर

पृष्ठांकन क्रमांक 4112275/03/छ.ग./2018/
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक /02/2019

अधीक्षण अभियंता (बोधी) कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, डाटा सेंटर, सिहावा भवन परिसर, रायपुर को संदर्भित पत्र के संबंध में सूचनार्थ।

सहपत्र :- शून्य।


(सजल कुमार विश्वकर्मा)
जन सूचना अधिकारी
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग
छत्तीसगढ़ रायपुर

क्रमांक 581/बो.प्र./नि.स./2013/ 1920
कार्यालय प्रमुख अभियंता (बोधी प्रकोष्ठ)
जल संसाधन विभाग
छत्तीसगढ़, रायपुर

दिनांक 15/02/2019

प्रति,

जनसूचना अधिकारी
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग
रायपुर (छ.ग.)

विषय:- प्रथम अपील प्रकरणों के निराकरण आदेश की प्रति को वेब साइट (Web site) में अपलोड किये जाने बाबत।

—00—

विषयांतर्गत लेख है कि प्रथम अपील प्रकरणों वर्षान्त 2018 (छायाप्रति संलग्न) के निराकरण आदेश की प्रति को सूचना के अधिकार "वेब साइट" में अपलोड किये जाने की कार्यवाही कराते हुए इस प्रकोष्ठ को सूचित किया जाना सुनिश्चित करें।

सहपत्र :- उपरोक्तानुसार
(23 पृष्ठ)

अधीक्षक अभियंता (बोधी)
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग
छत्तीसगढ़ रायपुर

पृ. क्र. 581/बो.प्र./नि.स./2013/
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक 14/2 /02/2019

कार्यपालन अभियंता (MIS Cell) स्टेट डाटा सेन्टर, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संख्यादिन नं. (वार्षिक प्रति 2018)
क. लाल प्रमुख करें
प्र. 15/2/19

हस्ता/-
अधीक्षक अभियंता (बोधी)
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग
छत्तीसगढ़ रायपुर

अपीलार्थी
श्री हेमंत कुमार कंसारी

क्रमांक 133/बो.प्र./नि.स./2018/4153
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग
छत्तीसगढ़, रायपुर

दिनांक 13/03/2018

अपीलार्थी

श्री हेमंत कुमार कंसारी
मेनरोड, छुरा
जिला-गरियाबंद (छ.ग.)

— विरुद्ध —

प्रतिअपीलार्थी

श्री एस.के. विश्वकर्मा
जन सूचना अधिकारी
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग
छत्तीसगढ़, रायपुर

1. श्री हेमंत कुमार कंसारी, मेनरोड छुरा, जिला-गरियाबंद द्वारा जनसूचना अधिकारी, मंत्रालय रायपुर को प्रस्तुत अपने आवेदन दिनांक 22.01.2018 को मूलतः अग्रिम कार्यवाही हेतु 25.01.2018 को जनसूचना अधिकारी, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग रायपुर को प्रस्तुत किया गया था। जिसकी जानकारी अप्राप्त होने से व्यथित होकर यह अपील आवेदन अग्रिम कार्यवाही प्रस्तुत की है।
2. प्रकरण के अवलोकन पश्चात् उभय पक्षों को प्रकरण की सुनवाई हेतु दि. 12.03.2018 को उपस्थित होने हेतु आदेश क्र. 3745, दि. 06.03.18 द्वारा आदेश जारी किये थे। उपरोक्त आदेश के पालन में उभय पक्ष अधोहस्ताक्षरकर्ता के कक्ष में उपस्थित हुए।
3. अपीलार्थी श्री हेमंत कुमार कंसारी, द्वारा बताया गया है कि उन्हें जानकारी अभी तक नहीं मिला है। वांछित जानकारी तत्काल दिलवाया जाये। जनसूचना अधिकारी द्वारा बताया गया है कि अपीलार्थी द्वारा मांगी गई जानकारी प्रमुख अभियंता कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। जानकारी कार्यपालन अभियंता, जल प्रबंध संभाग क्र. 1, रायपुर को पृथक आवेदन देकर प्राप्त किया जा सकता है की सूचना उनके पत्र क्र. 2600, दि. 15.02.18 द्वारा अपीलार्थी को दिया गया है। अपीलार्थी द्वारा भी प्रकरण की जानकारी हेतु कार्यपालन अभियंता को हस्तांतरित हेतु सहमति व्यक्त किया है।
4. प्रकरण के अवलोकन से ज्ञात होता है कि जानकारी राजिम में महानदी पर पिछले तीन वर्षों में (सन् 2015, 2016 तथा 2017) किए गये समस्त अस्थाई निर्माण कार्यों पर किए गये खर्च के सम्पूर्ण विवरण से संबंधित है। जो कार्यपालन अभियंता, जल प्रबंध संभाग क्र. 1, रायपुर के कार्यालय में उपलब्ध होना संभावित है। अतः प्रकरण संबंधित कार्यपालन अभियंता को हस्तांतरित किया जाना उचित होगा। अपीलार्थी द्वारा भी जानकारी हेतु प्रकरण कार्यपालन अभियंता को भेजने हेतु सहमति व्यक्त किया गया है। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के धारा 6(1) के तहत प्रकरण की जानकारी अन्य प्राधिकारी के पास होने की स्थिति में उनको इस कार्यालय में उपलब्ध जानकारी नियमानुसार दिये जाने के पश्चात् प्रकरण अन्य प्राधिकारी को हस्तांतरित किया जा सकता है अथवा पृथक आवेदन प्रस्तुत कर जानकारी प्राप्त किये जाने का प्रावधान है। चूंकि जानकारी प्रमुख कार्यालय में उपलब्ध नहीं है ऐसी स्थिति में प्रकरण मूलतः कार्यपालन अभियंता जल प्रबंध संभाग क्र. 1, रायपुर को हस्तांतरित किया जाना उचित होगा।

13/3

5. अतः प्रकरण इस निर्देश के साथ निराकृत किया जाता है कि प्रकरण पैरा (4) के अनुसार अपालार्थी को जानकारी प्रदाय करने हेतु कार्यपालन अभियंता जल प्रबंध संभाग क्र. 1, रायपुर को मूलतः हस्तांतरित किया जावे तथा कृत कार्यवाही से अपीलार्थी एवं इस कार्यालय को सूचना देवें।

सहपत्र :- शून्य

(बी.आर. लाड़िया)
प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं
अधीक्षण अभियंता (बोधी)
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग
छत्तीसगढ़ रायपुर
12/3

पृ.क्र. 133/बो.प्र./नि.स./2018/4154

रायपुर, दिनांक 13/03/2018

प्रतिलिपि :-

1. श्री एस.के. विश्वकर्मा, जन सूचना अधिकारी कार्यालय प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
2. श्री हेमंत कुमार कंसारी, मेनरोड छुरा, जिला-गरियाबंद (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

सहपत्र :- शून्य

प्रतिलिपि क्र. 2 पंजीकृत डाक से

(बी.आर. लाड़िया)
प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं
अधीक्षण अभियंता (बोधी)
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग
छत्तीसगढ़ रायपुर
12/3

5. अतः प्रकरण इस निर्देश के साथ निराकृत किया जाता है कि प्रकरण पैरा (4) के अनुसार अपालार्थी को जानकारी प्रदाय करने हेतु कार्यपालन अभियंता जल प्रबंध संभाग क्र. 1, रायपुर को मूलतः हस्तांतरित किया जावे तथा कृत कार्यवाही से अपीलार्थी एवं इस कार्यालय को सूचना देवें।

सहपत्र :- शून्य

5/3
(बी.आर. लाड़िया)
प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं
अधीक्षण अभियंता (बोधी)
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग
छत्तीसगढ़ रायपुर

पृ.क्र. 134/बो.प्र./नि.स./2018/4246

रायपुर, दिनांक 14/03/2018

प्रतिलिपि :-

1. श्री एस.के. विश्वकर्मा, जन सूचना अधिकारी कार्यालय प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
2. श्री हेमंत कुमार कंसारी, मेनरोड छुरा, जिला-गरियाबंद (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

सहपत्र :- शून्य

प्रतिलिपि क्र. 2 पंजीकृत डाक से

5/3
(बी.आर. लाड़िया)
प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं
अधीक्षण अभियंता (बोधी)
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग
छत्तीसगढ़ रायपुर